

पत्रांक 11/आ. 4-आ० वि०-01/95 का०-117

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमुख/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 30.9.1995

विषय :- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आदर्श रोस्टर के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 15/आ. आ. को. 0145/89-का०-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का प्रतिशत पूरा होने पर भी रिक्ति उपलब्ध होने पर रोस्टर प्रणाली हर हालत में लागू होगी ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका सिविल संख्या-79/1979 (आर. के. सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.2.95 को पारित आदेश से यह न्याय निर्देश दिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग के निर्धारित प्रतिशत के पूरी होने के उपरान्त रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा, तत्पश्चात किसी सेवा/संवर्ग में सेवा निवृत्ति/प्रोन्नति/मृत्यु अथवा अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्तियाँ उपलब्ध होंगी, उन रिक्तियों को उसी वर्ग से भरा जा सकेगा ।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-सी० डब्लू० जे० सी०-1151/1991 (विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य), सी० डब्लू० जे० सी० नं० 7009/1991 (श्री के० पी० श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य), सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-9874/1989 (श्री के० डी० भगत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्याय निर्देश के आलोक में दिनांक

6.4.95 को समेकित रूप में पारित आदेश से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-15/आ. आ. को. 0145/89 का.-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त कर दिया है।

4. उपर्युक्त न्याय-निर्देश के अन्तर्गत में सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 15/आ. आ. को. 0145/89-38, दिनांक 21 मार्च, 1991 को निरस्त करते हुये निर्णय लिया है कि किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षित वर्ग का निर्धारित प्रतिशत पूरा होने के उपरान्त संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर का संचालन स्थगित रहेगा। इसके पश्चात् सेवा/नियुक्ति/प्रोन्नति/पूरा एवं अन्य कारणों से जिस वर्ग की रिक्ति उपलब्ध होगी उस रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जायेगा जिस वर्ग से रिक्ति उपलब्ध हुई है, अर्थात् सामान्य वर्ग की रिक्ति सामान्य वर्ग से एवं आरक्षित वर्ग की रिक्ति को संबंधित आरक्षित वर्ग से ही भरा जायेगा।

5. किसी सेवा/संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित वर्ग के लिए पद नियमानुसार अग्रणीत रहेंगे।

6. यह आदेश उन सभी मामलों में लागू होगा जिनमें नियुक्ति/प्रोन्नति का आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या-11/ वि. 1-22/95 का० 116

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक :

श्री बी० के० करण,  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव ।

पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 1995

विषय :- रोस्टर क्लैयरेंस के मामलों के शीघ्र निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग में विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा रोस्टर क्लैयरेंस हेतु जो सचिकाएँ भेजी जाती हैं, उनमें पूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप सचिकाओं का निष्पादन निश्चित समय पर नहीं हो पाता है । आरक्षण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विभाग में आरक्षण से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु सम्पर्क पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिन्हें समय पर कार्मिक विभाग से सम्पर्क स्थापित कर आरक्षण के मामलों का निष्पादन करने का दायित्व सौंपा गया है । वर्णित स्थिति में कार्मिक विभाग में लंबित सचिकाओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक महीने में एक तिथि निर्धारित की गयी है । अक्टूबर, 95 में निर्धारित तिथियों की सूची संलग्न की जाती है ।

अतः अनुरोध है कि संबंधित सम्पर्क पदाधिकारी/कार्यवाह सहायक को निर्धारित तिथि एवं समय में (अपराह्न 3 बजे) कार्मिक विभाग के उप सचिव के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने के लिए आदेश देने की कृपा करें, ताकि रोस्टर से संबंधित सचिकाओं का शीघ्र निष्पादन किया जा सके ।

विश्वसभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव

पत्र सं०-11/वि 6-भा०स०-01/94 का०-97

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 31 अगस्त, 1995

विषय :- अन्य राज्यों/एवं राज्य क्षेत्रों से आकर बसे व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि भारत सरकार के अन्तर्गत सिविल सेवाओं और पदों की रिक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में एक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है । कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के ध्यान में आया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन से व्यक्ति जिस राज्य में गये हैं वहाँ उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-12011/11/94-बी०सी०सी०, दिनांक 8.4.94 निर्गत किया गया है जिसमें विस्तृत अनुदेश दिये गये हैं, जिसकी एक प्रति आपके सहज संदर्भ के लिये संलग्न है । इस परिपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग जाति प्रमाण पत्र उन्हें जारी किया जा सकता है, जो किसी अन्य राज्य से आये हों ।

जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी को यह परामर्श दिया जाता है कि वे प्रमाण पत्र की सत्यता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव

पत्र सं०-11/आ० 4-नीति-01/92 का०-5526

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 7 जुलाई, 1995

विषय :- सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले संवर्गीय एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि एकल पद पर आरक्षण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-9015/93 में पारित आदेश से विभागीय परिपत्र संख्या 123 दिनांक 6.7.92 के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-20165, दिनांक 8.11.75 की कॉडिका-3 के अनुसरण में निर्गत कार्मिक विभागीय पत्र संख्या 123, दिनांक 6.7.92, जिससे एकल पद पर आरक्षण लागू किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था, प्रभावी नहीं रहेगा ।

आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र सं०-11/वि०-4-जा०नि०-1001/94 का०-32

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/

सभी जिलापदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 मई, 95

**विषय :-** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ) अधिनियम, 1991 की ( अनुसूची 1 एवं 2 ) यथा संशोधित अध्यादेश, 1995 की अनुसूची-3 के आलोक में पिछड़े वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11/वि०4-जा०नि०-1001/94 का०-20, दिनांक 9.2.94 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में प्रपत्र संलग्न करते हुए निदेश दिए गए थे।

(2) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ) ( संशोधन ) अध्यादेश, 1995 द्वारा अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों की कोटि पर आरक्षण लागू नहीं होने का प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप पूर्व में निर्गत आदेश में संशोधन की आवश्यकता हो गयी है ।

(3) अतः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11/वि० 4 जा० नि० 1001/94 का० 20, दिनांक 9.2.94 को अवक्रमित करते हुए निम्न आदेश दिया जाता है :-

(क) जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक जांचोपरान्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाय ।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए निम्नांकित पदाधिकारी सक्षम होंगे—

(I) समाहर्ता/जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त ।

(II) अपर समाहर्ता/अपर जिला दण्डाधिकारी/अपर उपायुक्त ।

(III) अनुमंडल पदाधिकारी ।

(IV) भूमि सुधार उप समाहर्ता ।

(V) कार्यपालक दण्डाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्ता हों और समाहरणालय अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सामान्य पक्ष में पदस्थापित हों) ।

(VI) परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्ता हों) ।

(VII) सहायक परियोजना पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्ता हों) ।

(VIII) प्रखंड विकास पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्ता हों) ।

(IX) जिला कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्ता हों) ।

(X) अंचल पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसमाहर्ता हों) ।

(4) सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए सिर्फ जिला दण्डाधिकारी का प्रमाण पत्र ही मान्य है ।

(5) जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए एक प्रपत्र निर्धारित किया जाता है जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

(6) अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को इससे अवगत करा दिया जाय तथा संलग्न प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

सं० 11/का० नि० छू०-1003/92 का०-11

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 95 ।

**विषय :-** सरकारी सेवाओं में मूल पद से कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद के लिए कालावधि का निर्धारण ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3/पी० आर० सी० -3/81/एफ०-10770 दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 की कॉडिका 10 के द्वारा सभी सेवाओं, सम्बर्गों एवं पदों के लिए प्रवर कोटियों का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6021 दिनांक 18-12-89 के द्वारा आगे भी जारी रखा गया । इस संकल्प में सरकार का यह भी निर्णय सन्निहित है कि यदि पहले से किसी खास प्रवर कोटि के लिए कोई भिन्न मापदंड निर्धारित न हो तो कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि पाँच वर्ष की निर्धारित की जाय । सम्परिवर्तन से सृजित कनीय प्रवर कोटि एवं अन्य उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण प्रशासी विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग समुचित विचारोपरान्त निर्धारित करता रहा है । इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न विभागों के सेवाएं/सम्बर्गों के लिए मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि के पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधियाँ निर्धारित की गयीं । कनीय प्रवर कोटि के पदों पर मूल कोटि से प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि में एकस्यता लाने का प्रश्न इस समय से सरकार के विचाराधीन था ।

2. अब सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि के पदों, जो उपर्युक्त प्रथम कॉडिका में वर्णित वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में सम्परिवर्तन द्वारा सृजित किये गये हैं, पर प्रोन्नति हेतु कालावधि प्रत्येक सेवा/सम्बर्ग के लिए पाँच वर्ष की रहेगी । यदि किसी सेवा/सम्बर्ग के लिए मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति हेतु पाँच वर्ष से अधिक की कालावधि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के किसी आदेश से निर्धारित की गयी है तो उसे इस हद तक संशोधित समझते हुए पाँच वर्ष ही माना जाय । यह सुविधा केवल मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि के पदों पर प्रोन्नति हेतु ही है न कि मूल कोटि से प्रोन्नति के नियमित पदों पर प्रोन्नति के बारे में । नियमित प्रोन्नति के पदों अथवा कनीय प्रवर कोटि से उससे उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु जो कालावधियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्धारित हैं वे यथावत कायम रहेंगी ।



3. यह निर्णय निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/बिहार लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/ प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-एस० एन० विश्वास  
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापक 11/का०-नि० छ०-1003/92 का० 11

पटना-15, दिनांक-13 फरवरी, 95

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/महालेखाकार, बिहार, पटना तथा राँची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकायों/निगमों/ लोक क्षेत्र उपक्रमों/ पर्वदों/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसकी प्राप्ति की सूचना दें तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, लोक क्षेत्र उपक्रमों, पर्वदों आदि को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/- एस० एन० विश्वास  
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या 11/काला० -01/95 का०-10

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० करण, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 1995 ।

**विषय :** समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन से भिन्न मुफस्सिल लिपिकों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 8 दिनांक 13.2.95 के द्वारा समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन के लिपिकों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया है ।

2. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त निर्धारित कालावधि समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन से भिन्न मुफस्सिल लिपिकों की प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए भी प्रभावी होगी, बशर्ते संबंधित संवर्ग का मूल पद पर और प्रवर कोटि पदों के वेतनमान समान हों ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या 11/काला०-01/95 का०-9

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० करण, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 1995 ।

विषय : चतुर्थ एवं तृतीय वर्गों के संवर्गों/पदों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि राज्य सरकार के अधीन चतुर्थ एवं तृतीय वर्गों के ऐसे कई संवर्ग/पद हैं जिनके प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति के लिए कोई कालावधि निर्धारित नहीं है और फलतः ऐसे संवर्गों/पदों के प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति नहीं हो पा रही है ।

2. ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके प्रवर कोटि पदों पर प्रोन्नति हेतु कोई कालावधि निर्धारित नहीं है, उनके लिए कालावधि निर्धारण के संबंध में सरकार ने ऐसे सभी संवर्गों/पदों पर प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

- |   |        |
|---|--------|
| (क) मूल कोटि से कनीय प्रवर कोटि                   | 5 वर्ष |
| (ख) कनीय प्रवर कोटि से वरीय प्रवर कोटि            | 5 वर्ष |
| (ग) वरीय प्रवर कोटि से सुपर टाईम $2\frac{1}{2}\%$ | 3 वर्ष |

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या 11/काला० -01/95 का०-8

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० करण, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 फरवरी, 1995 ।

**विषय :** समाहरणालयों के प्रशासी नियंत्रण के अधीन लिपिकों के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों की कालावधि का निर्धारण ।

**प्रसंग :-** कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग का पत्र संख्या 11/वि०-1-20011/83 का० 132 दिनांक 15-2-84

महाशय,

निदेशानुसार मुझे उपरोक्त विषय के संबंध में प्रसंगाधीन पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा समाहरणालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अवस्थित लिपिक सम्बर्ग में प्रोन्नति के विभिन्न पदों के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया था ।

2. लिपिक सम्बर्ग के प्रोन्नति के विभिन्न पदों के लिए कालावधि के संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था । पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के प्रसंगाधीन पत्र संख्या 132 दिनांक 15-2-84 के द्वारा निर्धारित प्रोन्नति के विभिन्न पदों की कालावधि को निम्नलिखित ढंग से संशोधित करने का निर्णय लिया है:-

निम्नतर पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये कालावधि
1	2	3
1. लिपिक (1200-1800)	कनीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2300)	5 वर्ष
2. कनीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2300)	वरीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2600)	5 वर्ष
3. वरीय प्रवर कोटि लिपिक (1400-2600)	सुपर टाईम स्केल (1500-2750)	3 वर्ष
4. सुपर टाईम स्केल (1500-2750)	कार्यालय अधीक्षक (1640-2900)	3 वर्ष

3. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या 11/वि०1-1022/91 खण्ड का०-147

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री गुलाम ताहिर, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/ सभी विश्वविद्यालय के कुलपति / महालेखाकार, बिहार, पटना एवं राँची ।

पटना-15, दिनांक 2 नवम्बर, 1994 ।

विषय : व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 155 दिनांक 14-12-93 के प्रावधान एवं उसके साथ संलग्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की सूची एवं इसी संदर्भ में कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के पत्र संख्या 163 दिनांक 28-12-93 द्वारा निर्गत सूची में (1) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं (2) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का नाम सूचीकृत नहीं हो सका है ।

सरकार की स्पष्ट मंशा है कि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का जो प्रावधान है उसे (1) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं (2) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी लागू किया जाय ।

अतः संकल्प संख्या 155 दिनांक 14-12-93 की कड़िका-3 के अन्तर्गत निर्गत सूची में राज्य के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के पत्रांक 163 दिनांक 28-12-93 के कड़ी में (1) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं (2) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का नाम VIII एवं IX के रूप में जोड़ा जाता है । शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना एवं बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सूची तदनुसार संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव ।

(VIII) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्रनगर, पटना ।

(IX) बिहार के अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ।

पत्र संख्या 11/वि०-4-जा० नि०-10-04/94 का०-91

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 18 जुलाई, 1994 ।

विषय : कुर्मी जाति को केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकार की दृष्टि में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ जिला पदाधिकारियों द्वारा कुर्मी जाति के लोगों को अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र यह कहते हुए नहीं निर्गत किया जा रहा है कि उन्हें भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।

2. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-11/वि० 6-भा० स०-1/94 का०-17 दिनांक 6-2-94 की ओर आकृष्ट किया जाता है । उक्त पत्र के पृष्ठ-20 में दिए गए परिशिष्ट के क्रमांक-15 में कुर्मी (महतो) एवं कुर्मी (महतो) (केवल छोटानागपुर प्रभाग) का उल्लेख है जिसके साथ मंडल आयोग की सूची के क्रम संख्या-101 एवं 110 का भी उल्लेख किया गया है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि मंडल आयोग के बिहार की सूची में क्रम संख्या-101 पर कुर्मी तथा 110 पर महतो दर्ज है ।

3. भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने अपने संकल्प संख्या-12011/68/93 बी० सी०सी० (सी०) दिनांक 10-9-93 द्वारा यह सूची परिचारित की है कि अलग-अलग राज्यों में कौन-कौन जातियों को भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा । इस संकल्प में बिहार की सूची के क्रमांक 15 का प्रावधान निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/समान जातियों सहित ) के नाम	राज्य सूची प्रविष्टि सं०	मंडल सूची में प्रविष्टि सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	कुर्मी (महतो)	1 (15)	101, 110	
2.	कुर्मी (महतो) [केवल छोट्यनागपुर प्रभाग में]	2(6)		

इसके स्तम्भ 2 के ही शीर्षक के साथ जाति की प्रविष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि कुर्मी तथा महतो दोनों को भारत सरकार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि मंडल आयोग की बिहार की सूची में क्रमांक 101 पर कुर्मी तथा 110 पर महतो की प्रविष्टि है तथा इन दोनों क्रमांकों का उल्लेख स्तम्भ-4 में किया गया है। इसी आशय का उल्लेख कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-17 दिनांक 6-2-94 के पृष्ठ-20 पर परिशिष्ट के कॉलम 15 में भी है।

4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से कुर्मी तथा महतो को अन्य पिछड़े वर्गों का लाभ प्राप्त होगा। कृपया तदनुसार जाति प्रमाण पत्र-निर्गत किया जाए।

विश्वासभाजन,  
ह०/-एस० एन० विश्वास  
आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या 11/आ०-4/नीति-10-04/93 का०-49

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री. एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 13 अप्रिल, 1994 ।

विषय : जिला एवं प्रमंडल की रिक्तियों में सीधी नियुक्ति हेतु आदर्श रोस्टर ।

प्रसंग : अधिसूचना संख्या 152, दिनांक 13 दिसम्बर, 1993 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 147, दिनांक 21-10-90 को अंशतः संशोधित करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या-152, दिनांक 13-12-93 द्वारा प्रत्येक जिला एवं प्रमंडल स्तर की नियुक्तियों के लिये नया आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

2. नये आरक्षण प्रतिशत को तदनुसार प्रत्येक जिला एवं प्रमंडल में प्रभावी बनाने के लिये संकल्प संख्या 147, दिनांक 21-10-90 जो जिला एवं प्रमंडल स्तर की सीधी नियुक्तियों के लिए प्रभावी था, को परिमार्जित करते हुए राज्य सरकार ने 100 बिन्दु का एक पुनरीक्षण आदर्श रोस्टर विवरण के रूप में संलग्न है ।

3. अतः आप से अनुरोध है कि इस रोस्टर का अनुपालन दृढ़ता से कराया जाय तथा नियुक्ति पदाधिकारियों को अनुदेश दिया जाय कि आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में उनके द्वारा की गयी किसी चूक को सरकार गम्भीरता से लेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव



**प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर सीधी नियुक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु**

I. प्रमण्डल का नाम -	1. सारण 2. भागलपुर 3. पूर्णिया
जिला का नाम -	1. सारण 2. सीवान 3. गोपालगंज 4. भागलपुर 5. बाँका 6. सीतामढ़ी 7. पश्चिमी चम्पारण 8. पूर्वी चम्पारण 9. मधुवनी 10. पूर्णिया 11. अररिया 12. किशनगंज 13. कटिहार 14. बेगूसराय

1. अनुसूचित जाति -	14 प्रतिशत	2, 10, 18, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 68, 74, 84, 92, 96 = 14 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	7 प्रतिशत	4, 22, 36, 54, 62, 72, 86 = 7 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 64, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग -	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	<b>50 प्रतिशत</b>	<b>कुल आरक्षित पद = 50</b>

II. प्रमण्डल का नाम -	1. तिरहुत 2. दरभंगा
जिला का नाम -	1. पटना 2. भोजपुर 3. बक्सर 4. दरभंगा

1. अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत	2, 10, 18, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 74, 84, 92, 96 = 15 पद
2. अनुसूचित जनजाति	6 प्रतिशत	4, 22, 36, 54, 72, 86 = 6 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	<b>50 प्रतिशत</b>	<b>कुल आरक्षित पद = 50</b>

III. प्रमण्डल का नाम -	1. नालन्दा 2. वैशाली 3. रोहतास 4. भभुआ
जिला का नाम -	

1. अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत	2, 6, 12, 18, 24, 32, 40, 46, 50, 54, 58, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 94 = 19 पद
2. अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत	36, 86 = 2 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	16 प्रतिशत	4, 10, 16, 20, 22, 28, 34, 42, 52, 60, 62, 70, 82, 90, 96, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 34, 38, 44, 48, 56, 66, 76, 92 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	<b>50 प्रतिशत</b>	<b>कुल आरक्षित पद = 50</b>

**IV. प्रमण्डल का नाम -**

जिला का नाम -		1. गया 2. जहानाबाद
1. अनुसूचित जाति	26 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 82, 84, 90, 94, 98 = 26 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत	4, 16, 20, 26, 34, 42, 54, 66, 70, 76, 88, 92 = 12 पद
4. पिछड़ा वर्ग	9 प्रतिशत	8, 12, 38, 48, 50, 58, 62, 96, 100 = 9 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

**V प्रमण्डल का नाम -**

जिला का नाम -		1. नवादा
1. अनुसूचित जाति -	24 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 78, 82, 84, 90, 94, 98 = 24 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	13 प्रतिशत	4, 16, 20, 26, 34, 42, 54, 66, 70, 72, 76, 88, 92 = 13 पद
4. पिछड़ा वर्ग -	10 प्रतिशत	8, 12, 22, 38, 46, 50, 58, 62, 96, 100 = 10 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद - 50

**VI. प्रमण्डल का नाम -**

जिला का नाम -		1. कोशी 2. मुंगेर 1. मुजफ्फरपुर 2. सहरसा 3. सुपौल 4. मधेपुरा 5. मुंगेर 6. जमुई 7. खगड़िया
1. अनुसूचित जाति -	16 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 74, 84, 92, 96 = 16 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	5 प्रतिशत	4, 36, 54, 72, 86 = 5 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग -	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

VII. प्रमण्डल का नाम -

जिला का नाम -	1. समस्तीपुर
1. अनुसूचित जाति - 18 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 36, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 72, 74, 84, 92, 96 = 18 पद
2. अनुसूचित जनजाति - 3 प्रतिशत	4, 54, 86 = 3 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 16 प्रतिशत	6, 12, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 62, 70, 76, 82, 90, 94, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग - 11 प्रतिशत	8, 14, 26, 38, 44, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला 2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

VIII. प्रमण्डल का नाम -

जिला का नाम -	1. संधाल परगना 1. दुमका 2. देवघर 3. गोड्डा 4. साहेबगंज 5. पाकुड़
1. अनुसूचित जाति - 8 प्रतिशत	2, 18, 34, 52, 64, 72, 84, 96 = 8 पद
2. अनुसूचित जनजाति - 31 प्रतिशत	4, 6, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 68, 74, 76, 78, 82, 86, 90, 92, 98, 100 = 31 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 6 प्रतिशत	12, 28, 40, 56, 70, 94 = 6 पद
4. पिछड़ा वर्ग - 4 प्रतिशत	14, 44, 66, 88 = 4 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला 1 प्रतिशत	80 = 1 पद
50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

XI. प्रमण्डल का नाम -

जिला का नाम -	1. उत्तरी छोटानागपुर 1. धनबाद ।
1. अनुसूचित जाति - 16 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 42, 46, 52, 60, 64, 68, 74, 84, 92, 96 = 16 पद
2. अनुसूचित जनजाति - 10 प्रतिशत	4, 12, 26, 36, 44, 54, 62, 72, 86, 94 = 10 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 13 प्रतिशत	6, 16, 20, 28, 32, 40, 50, 56, 70, 76, 82, 90, 100 = 13 पद
4. पिछड़ा वर्ग - 9 प्रतिशत	8, 14, 38, 48, 58, 66, 78, 88, 98 = 9 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला 2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

X. प्रमण्डल का नाम -		1. दक्षिणी छोटानागपुर
जिला का नाम -		1. राँची 2. गुमला 3. लोहरदगा
1. अनुसूचित जाति -	5 प्रतिशत	18, 34, 52, 74, 96 = 5 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	45 प्रतिशत	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100 = 45 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	-	शून्य
4. पिछड़ा वर्ग -	-	शून्य
5. पिछड़ा वर्ग की महिला -	-	शून्य
50 प्रतिशत		कुल आरक्षित पद = 50

XI. प्रमण्डल का नाम -		1. पश्चिमी सिंहभूम 2. पूर्वी सिंहभूम
जिला का नाम -		
1. अनुसूचित जाति -	5 प्रतिशत	18, 34, 52, 74, 96 = 5 पद
2. अनुसूचित जनजाति -	44 प्रतिशत	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100 = 44 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -	1 प्रतिशत	48 = 1 पद
4. पिछड़ा वर्ग -	-	शून्य
5. पिछड़ा वर्ग की महिला -	-	शून्य
50 प्रतिशत		कुल आरक्षित पद = 50

XII. प्रमण्डल का नाम -		1. पलामू 2. गढ़वा
जिला का नाम -		
1. अनुसूचित जाति	25 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 90, 96, 100 = 25 पद
2. अनुसूचित जनजाति	19 प्रतिशत	4, 8, 12, 16, 22, 26, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 66, 70, 76, 82, 86, 92 = 19 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	3 प्रतिशत	20, 80, 98 = 3 पद
4. पिछड़ा वर्ग	2 प्रतिशत	50, 94 = 2 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	1 प्रतिशत	30 = 1 पद
50 प्रतिशत		कुल आरक्षित पद = 50

**XIII. प्रमण्डल का नाम -**

जिला का नाम -		1. बोकारो 2. गिरिडीह
1. अनुसूचित जाति	18 प्रतिशत	2, 10, 18, 22, 24, 34, 36, 42, 52, 54, 60, 64, 68, 72, 74, 84, 92, 96 = 18 पद
2. अनुसूचित जनजाति	13 प्रतिशत	4, 12, 14, 20, 32, 44, 46, 58, 70, 86, 88, 90, 100 = 13 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	10 प्रतिशत	6, 16, 28, 40, 50, 56, 62, 76, 82, 94 = 10 पद
4. पिछड़ा वर्ग	7 प्रतिशत	8, 26, 38, 48, 66, 78, 98 = 7 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

**XIV. प्रमण्डल का नाम -**

जिला का नाम -		1. हजारीबाग 2. चतरा
1. अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत	2, 10, 14, 18, 22, 24, 34, 36, 42, 52, 54, 60, 64, 68, 72, 74, 84, 92, 96 = 19 पद
2. अनुसूचित जनजाति	9 प्रतिशत	4, 12, 20, 32, 46, 58, 70, 86, 100 = 9 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत	6, 16, 28, 40, 44, 50, 56, 62, 76, 82, 88, 94 = 12 पद
4. पिछड़ा वर्ग	8 प्रतिशत	8, 26, 38, 48, 66, 78, 90, 98 = 8 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

**XV. प्रमण्डल का नाम -**

जिला का नाम -		1. औरंगाबाद
1. अनुसूचित जाति	23 प्रतिशत	2, 6, 12, 18, 20, 24, 32, 38, 40, 46, 50, 54, 60, 62, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 94, 98 = 23 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत	4, 10, 16, 22, 28, 36, 42, 52, 60, 70, 82, 90, 96, 100 = 14 पद
4. पिछड़ा वर्ग	10 प्रतिशत	8, 14, 26, 34, 44, 48, 56, 66, 76, 92 = 10 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

XVI. प्रमण्डल का नाम -		1. पटना
1. अनुसूचित जाति	20 प्रतिशत	2, 6, 12, 18, 24, 32, 40, 46, 50, 54, 58, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 94, 98 = 20 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	86 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	16 प्रतिशत	4, 10, 16, 20, 22, 28, 36, 42, 52, 60, 62, 70, 82, 90, 96, 100 = 16 पद
4. पिछड़ा वर्ग	11 प्रतिशत	8, 14, 26, 34, 38, 44, 48, 55, 66, 76, 92 = 11 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

XVII. प्रमण्डल का नाम -		2. मगध
1. अनुसूचित जाति	25 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 20, 24, 32, 34, 38, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 90, 96, 100 = 25 पद
2. अनुसूचित जनजाति	1 प्रतिशत	50 = 1 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	13 प्रतिशत	4, 16, 22, 28, 36, 42, 62, 70, 82, 86, 92, 94, 98 = 13 पद
4. पिछड़ा वर्ग	9 प्रतिशत	8, 12, 26, 40, 44, 54, 58, 66, 76 = 9 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	2 प्रतिशत	30, 80 = 2 पद
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

XVIII. प्रमण्डल का नाम -		1. पलामू
1. अनुसूचित जाति	25 प्रतिशत	2, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 78, 84, 88, 90, 96, 100 = 25 पद
2. अनुसूचित जनजाति	18 प्रतिशत	4, 8, 12, 16, 22, 26, 36, 44, 48, 54, 58, 62, 66, 70, 76, 82, 86, 92 = 18 पद
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	4 प्रतिशत	20, 40, 80, 98 = 4 पद
4. पिछड़ा वर्ग	3 प्रतिशत	30, 50, 94 = 3 पद
5. पिछड़ा वर्ग की महिला	शून्य	शून्य
	50 प्रतिशत	कुल आरक्षित पद = 50

नोट :- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त शेष बिन्दु अनारक्षित रहेंगे ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1916 (श०)

(सं० पटना 204)

पटना, मंगलवार 26 अप्रैल 1994

विधि विभाग

अधिसूचना

26 अप्रैल, 1994

संख्या एल० जी०-1-03/93 लेज-138-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापरित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यामल 26 अप्रैल, 1994 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

(बिहार अधिनियम 7, 1994)

**बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 1994**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1- (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जा सकेगा;  
(2) यह दिनांक 17 फरवरी, 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4 का संशोधन 1- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 4 की उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे; यथा :--

"परन्तु यह कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी:

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए इस धारा में यथा उपबोधित अनुपात में आरक्षण किया जायेगा।"

2. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 13 का प्रतिस्थापन।- उक्त अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

- “13. अभियोजन - (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी नियुक्ति या प्रोन्नति के सम्बन्ध में जब कोई शिकायत की जाय तब यथास्थिति जिला स्तर पर जिला के समाहर्ता/उपायुक्त या प्रमण्डलीय स्तर पर आयुक्त या राज्य स्तर पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भलीभाँति जांच के पश्चात् सरकार के अनुमोदन से नियुक्ति पदाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कर सकेगा।
- (2) जैसे मामले जिनमें नियुक्ति पदाधिकारी समाहर्ता/उपायुक्त हों तो प्रमण्डलीय आयुक्त, या प्रमण्डलीय आयुक्त हों तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसा मुकदमा किया जायेगा।”

4. बिहार अधिनियम 3, 1992 से उपाबद्ध अनुसूची का संशोधन।- उक्त अधिनियम में :-

- (1) अनुसूची 1 में निम्नलिखित अंक, कोष्ठक एवं शब्द विलोपित किये जायेंगे तथा सदा से विलोपित किये गये समझे जायेंगे, यथा :-

“(14) खरवार (सिवान एवं रोहतास जिले के)

(20) खोन्द

(54) बनजारा

(59) भुइया

(74) बेदिया ”

- (2) अनुसूची 2 में निम्नलिखित अंक, कोष्ठक एवं शब्द जोड़े जायेंगे तथा सदा से जोड़े गये समझे जायेंगे, यथा-

“(36) भाट (हिन्दू)”

-----

26 अप्रिल, 1994

संख्या एल० जी०-1-03/93 -लेज-139-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 26 अप्रिल, 1994 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1994 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।



[Bihar Act 7, 1994]

**THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 1994.**

AN

ACT

To amend the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 :—

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the forty-fifth year of the Republic of India as follows :

**1. Short title and commencement .—** (1) This Act, may be called "The Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (For Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 1994";

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 17th February, 1993.

**2. Amendment of Section 4 of Bihar Act 3, 1992 .—** In the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act 3, 1992) (hereinafter referred to as the said Act) in sub-section(2) of Section 4 the following provisos shall be added, namely :—

"Provided that the State Government may by notification in the official Gazette fix different percentage for different districts in accordance with the percentage of population of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in such districts :

Provided further that in case of promotion, reservation shall be made only for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the same proportion as provided in this Section."

**3. Amendment of Section 13 of Bihar Act 3, 1992 .—** In the said Act for Section 13, the following shall be substituted, namely :—

"13. *Prosecution* .— (1) When a complaint is made with regard to any appointment or promotion made in contravention of the provisions of this Act, the Collector/ Deputy Commissioner of the District at district level or the Commissioner at the divisional level or the Département of Personnel and Administrative Reforms at the State level, as the case may be, on due enquiry, may, with the approval

of the Government institute criminal case against the appointing authority and the concerned officers.

- (2) Such prosecution shall be instituted by the Divisional Commissioner where the appointing officer is the Collector/Deputy Commissioner or by the Department of Personnel and Administrative Reforms, where the appointing officer is Divisional Commissioner.

**4. Amendment of Schedules appended to the Bihar Act 3, 1992 .—** In the said Act :—

- (i) In Schedule I, the following figures, brackets and words shall be deleted and shall always be deemed to have been deleted, namely :—

"(14) Kharwar (colony for Siwan and Rohtas district)

(20) Khond

(54) Banjara

(59) Bhuiya

(74) Bedia."

- (ii) In Schedule II, the following figures, brackets and words shall be added and shall always be deemed to have been added; namely :—

"(36) Bhat (Hindu)".

बिहार राज्यपाल के आदेश से

बिन्देश्वरी प्रसाद यादव

प्र० संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार

पत्र संख्या-11/आ० नीति-10-04/93 का०-34

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 11 मार्च, 1994

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए सरकारी तथा सभी अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति में आरक्षण के संबंध में रोस्टर की व्यवस्था ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-39, दिनांक 11.3.93 द्वारा विहित राज्य स्तरीय आदर्श रोस्टर के क्रमवार आरक्षित एवं अनारक्षित बिन्दुओं के विरुद्ध किसी एक संव्यवहार में 50 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग से भरने के सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निदेश के अनुपालन में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कतिपय नियंत्रण पदाधिकारी एवं नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है ।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा भली-भाँति जांचोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा निदेश एवं आरक्षण अधिनियम संख्या 3/1992 की धारा 4 के तहत सीधी नियुक्ति हेतु विहित आरक्षण प्रतिशत को व्यावहारिक प्रभाव देने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 39, दिनांक 11.3.93 को पुनरीक्षित कर एक नया आदर्श रोस्टर प्रभावी किया जाय जिसमें प्रत्येक दो रिक्तियों में एक-एक पद आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग को अनुमान्य हो । अतः पूर्व में निर्गत परिपत्र को अवक्रमित करते हुए 100 बिन्दुओं का नया आदर्श रोस्टर संलग्न किया जा रहा है, जो सरकारी तथा सभी अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में राज्य स्तर की सीधी नियुक्ति में लागू होगा ।

3. यह रोस्टर तात्कालिक रूप से प्रभावी होगा तथा पूर्व के रोस्टर में आरक्षण जिसे अग्रनीत किया गया है, नये रोस्टर में अग्रनीत के रूप में रहेगा ।

4. प्रोन्नति से संबंधित पूर्व में निर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 20165, दिनांक 8.1.75 जिला/प्रमण्डल एवं राज्य स्तर की सभी रिक्तियों पर यथावत प्रभावी रहेगा ।

अतः अनुरोध है कि पुनरीक्षित आदर्श रोस्टर का दृढ़ता से अनुपालन प्रत्येक नियुक्ति/नियंत्रण पदाधिकारी सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,  
ह०/-एस० एन० विश्वास  
आयुक्त एवं सचिव ।

100 बिन्दुओं का रोस्टर

1. अनारक्षित
2. अनुसूचित जाति
3. अनारक्षित
4. अनुसूचित जनजाति
5. अनारक्षित
6. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
7. अनारक्षित
8. पिछड़ा वर्ग
9. अनारक्षित
10. अनुसूचित जाति
11. अनारक्षित
12. अनुसूचित जनजाति
13. अनारक्षित
14. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
15. अनारक्षित
16. पिछड़ा वर्ग
17. अनारक्षित
18. अनुसूचित जाति
19. अनारक्षित
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित
22. अनुसूचित जनजाति
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति
25. अनारक्षित
26. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
27. अनारक्षित
28. पिछड़ा वर्ग
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग की महिला
31. अनारक्षित
32. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अनुसूचित जनजाति
37. अनारक्षित
38. पिछड़ा वर्ग
39. अनारक्षित
40. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
41. अनारक्षित
42. अनुसूचित जाति
43. अनारक्षित
44. पिछड़ा वर्ग
45. अनारक्षित
46. अनुसूचित जाति
47. अनारक्षित
48. अनुसूचित जनजाति
49. अनारक्षित
50. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. अनुसूचित जाति
53. अनारक्षित
54. अनुसूचित जनजाति
55. अनारक्षित
56. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
57. अनारक्षित
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. अनुसूचित जाति
61. अनारक्षित
62. अनुसूचित जनजाति
63. अनारक्षित
64. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
65. अनारक्षित
66. पिछड़ा वर्ग
67. अनारक्षित
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. अनुसूचित जनजाति
73. अनारक्षित
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
77. अनारक्षित
78. पिछड़ा वर्ग
79. अनारक्षित
80. पिछड़ा वर्ग की महिला
81. अनारक्षित
82. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. अनुसूचित जाति
85. अनारक्षित
86. अनुसूचित जनजाति
87. अनारक्षित
88. पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. अत्यंत पिछड़ा वर्ग
91. अनारक्षित
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. पिछड़ा वर्ग
95. अनारक्षित
96. अनुसूचित जाति
97. अनारक्षित
98. अनुसूचित जनजाति
99. अनारक्षित
100. अत्यंत पिछड़ा वर्ग

पत्र संख्या-11/वि-4 जा० नि०-1001/94 का०-20

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एस० वर्मा, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 9 फरवरी, 1994

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये ) अधिनियम, 1991 की अनुसूची -1 ( अत्यन्त पिछड़ा वर्ग )/अनुसूची 2 ( पिछड़ा वर्ग ) हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11/आ० 1-101/84 का०-265, दिनांक 24-4-85 एवं पत्रांक-11/आ० 1-102/82 का०-279, दिनांक 8-5-85 को अवक्रमित करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण प्रावधानों का समुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उनकी जाति का नाम दिया जाय तथा यह भी उल्लेख किया जाय कि उक्त जाति बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये ) अधिनियम, 1991 की अनुसूची 1 ( अत्यन्त पिछड़ा वर्ग )/ अनुसूची 2 ( पिछड़ा वर्ग ) के अंतर्गत शामिल है।

2. उक्त प्रमाण-पत्र आवश्यक जाँचोपरान्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाय ।

3. राज्य सरकार ने अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये निम्नांकित पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है :-

(क) समाहर्ता/जिला दंडाधिकारी /उपायुक्त

(ख) अपर समाहर्ता/अपर जिला दंडाधिकारी/अपर उपायुक्त

- (ग) अनुमंडल पदाधिकारी
- (घ) भूमि सुधार उप समाहर्ता
- (ङ) कार्यपालक दंडाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता हों और समाहरणालय अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सामान्य पक्ष में पदस्थापित हों)
- (च) परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता हों)
- (छ) सहायक परियोजना पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता हों)
- (ज) प्रखंड विकास पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता हों)
- (झ) जिला कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता हों)
- (ञ) अंचल अधिकारी (जो बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता हों) ।

4. सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिये सिर्फ जिला दंडाधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य है ।

5. अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश की जानकारी दे देने की कृपा करें।

6. जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र (फारम) संलग्न किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एस० वर्मा

सरकार के अपर सचिव ।

### प्रपत्र

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
 पिता/पति श्री ..... ग्राम ..... पोस्ट .....  
 थाना ..... अनुमंडल ..... जिला ..... बिहार पदों एवं  
 सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये)  
 अधिनियम, 1991 के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के अन्तर्गत .....  
 जाति के सदस्य हैं ।

सक्षम पदाधिकारी

नोट :- जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

पत्र संख्या-11/वि० 6-भा० स०-01/94 का०-17

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री गुलाम ताहिर, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 94

विषय :- अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार की सिविल पदों एवं सेवाओं पर आरक्षण के लिये प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या 12011/68/93-बी० सी० सी० (सी०) दिनांक अक्टूबर, 93 के साथ प्रकाशित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और (प्रशिक्षण) पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 36012/22/93-इस्ट-(एस० सी० टी०), दिनांक 8 सितम्बर, 93 एवं दिनांक 15 नवम्बर, 93 की प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ मार्गदर्शन हेतु संलग्न की जा रही हैं ।

2. कृपया पावती स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव।

अनुलग्नक : यथोपरि

No. 12011/68/93—BCC(C)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF WELFARE

Shastri Bhawan, New Delhi-110001

Date the October, 1993

To,

The Chief Secretary, Government of Bihar, Patna

**Subject : Implementation of reservation of 27% vacancies in civil posts and services under the Government of India in favour of Other Backward Classes OBCs—List of Other Backward Classes.**

Sir,

I am directed to forward herewith five copies of the resolution dated the 13th September, 1993 (list of OBCs) regarding the above cited subject for onward transmission to your Ministries/Departments for official use.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

Sd/- (Mrs.) (Manjula Krishnan)

Director BCC (C)

Encl : As above



No. 36012/22/93-Estt (SCT)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi, Dated the 15th Nov. 1993

To,

The Chief Secretaries of all the State Governments/ Union Territories.

**Sub : Reservation for Other Backward Classes—exclusion of Creamy Layer for the purpose of appointment in services and posts under the Government of India—Certificate to be produced by the candidates.**

Sir,

I am directed to say that the Government of India has issued instructions on 8.9.93 providing for reservation to Other Backward Classes in the services and posts under the Government of India (A copy of this O.M is enclosed). The Other Backward Classes for the purpose of the above said reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Government's list. A list of such castes and communities was notified in Resolution No. 12011/68/93-BCC(C), dated 10th Sept, 1993 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I Section I dated 13.9.93. For the purpose of verification of the castes and communities the Government of India has prescribed a certificate from the following authorities as in the case of SC/ST vide this Department's O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT), dated 22.10.93 (copy enclosed) :

- (a) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendary Magistrate).
- (b) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (c) Revenue Officer (not below the rank of Tahsildar); and
- (d) Sub-Divisional Officer of the area where the Candidate and / or his family normally resides.